"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018 — चैत्र 7, शक 1940

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–5/2014/18. – छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 14 की उप–धारा (2) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 32 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"3–क. निर्वाचक नामावली आदि तैयार करने के संबंध में पदीय कर्तव्यों का उल्लंघन.–

(1) यदि कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या कोई व्यक्ति, जो निर्वाचक नामावली की किसी ऐसी प्रविष्टि के पुनरीक्षण या सुधार के संबंध में, जो उसमें जोड़ा जाना है या उससे हटाया जाना है, किन्हीं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में नियोजित है, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, ऐसे पदीय कर्तव्य, जिसका कि वह इन नियमों के उपबंधों के अधीन निर्वहन करने के लिये बाध्य है, के उल्लंघन में कोई कार्य या चूक करने का दोषी है, तो वह जुर्माने सहित ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी किन्तु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, उप–नियम (1) के अधीन तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि राज्य निर्वाचन आयोग या संबंधित जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर की श्रेणी से निम्न का न हो, के द्वारा लिखित में परिवाद प्रस्तुत न किया गया हो।

3–ख. मिथ्या घोषणाएं करना.– यदि कोई व्यक्ति,–

(क) निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या सुधार के संबंध में; अथवा

(ख) निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि को जोड़ने या उसे हटाने के संबंध में,
लिखित में, ऐसा कथन या घोषणा, जो मिथ्या है और जिसका उसे मिथ्या होने का ज्ञान है या विश्वास है अथवा जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, करता है, तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।"

2. नियम 5 में, उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(2–क) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचक नामावली प्रारूप पर दावा या आपत्ति प्राप्त करने के लिये किसी कर्मचारी को प्राधिकृत करेगा। इस कर्मचारी को वार्ड का संदर्भ लेते हुए प्राधिकृत किया जायेगा।"

3. नियम 25–क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"25–क. नामनिर्देशन पत्र के साथ शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना.–

(1) नियम 25 के उप–नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक अभ्यर्थी [और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष], जो नगरपालिक निगम के महापौर या पार्षद या नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष या पार्षद या नगर पंचायत के अध्यक्ष या पार्षद के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर रहा हो, प्ररूप–3क में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष लिये गये शपथ का शपथपत्र, अनिवार्य रूप से संलग्न करेगा।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी,–

(एक) क्या वह विगत किसी भी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध /भारमुक्त/दोषमुक्त है अथवा वह किसी लंबित आपराधिक मामले में अभियुक्त है? यदि ऐसा है तो इसका विवरण दीजिये;

(दो) अभ्यर्थी और उसके पति/पत्नी और उसके आश्रितों की परिसंपत्तियां (अचल, चल, बैंक शेष आदि), जिसमें वह एवं उसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चे, संयुक्त रुप से या पृथक रुप से स्वामी हैं या हितग्राही हैं;

(तीन) किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व, यदि कोई हो;

(चार) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसकी देयता, यदि कोई हो;

(पांच) अभ्यर्थी की शैक्षणिक अर्हता;

से संबंधित जानकारी, शपत्रपत्र में, ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये, रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय, घोषित करेगा।

(3) यदि शपथपत्र संलग्न नहीं किया गया हो, तो नामनिर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जायेगा।

(4) रिटर्निंग ऑफिसर, उप–नियम (2) के अधीन उसको जानकारी प्रस्तुत कर दिये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, इस प्रकार प्राप्त जानकारी को, उस संबंधित वार्ड, जिसके लिये नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, के निर्वाचकों की जानकारी के प्रयोजन हेतु अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर शपथपत्र की एक प्रति चस्पा कर, प्रसारित करेगा और किसी अभ्यर्थी/निर्वाचक द्वारा मांग किये जाने पर इस प्रकार प्राप्त जानकारी को उपलब्ध करायेगा और उक्त जानकारी को मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रुप से भी प्रसारित करेगा।

(5) यदि कोई अभ्यर्थी/निर्वाचक, उप–नियम (2) के अधीन किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंतर्विष्ट किसी जानकारी के विरूद्ध कोई शपथपत्र प्रस्तुत करता है, तो उसे भी उप–नियम (4) के अधीन विहित रीति से प्रसारित किया जायेगा।

(6) रिटर्निंग ऑफिसर, शपथपत्र में दी गई जानकारी के संबंध में, कोई जांच नहीं करेगा।"

4. नियम 26 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1) किसी भी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिये सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसने नियम 25 के अधीन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष या तो अपने नामनिर्देशन पत्र के प्रस्तुतिकरण के समय या उसके पूर्व, निम्नलिखित राशि नगद रूप में जमा न कर दी हो या जमा न करवा दिया हो, अर्थात् :–

(क) "पार्षद" की सीट के लिये,–

(एक) नगर पंचायत, रूपये 1000/– की धनराशि;

(दो) नगरपालिका परिषद्, रूपये 3000/– की धनराशि;

(तीन) नगरपालिक निगम, रूपये 5000/– की धनराशि;

(ख) नगर पंचायत के अध्यक्ष की सीट के लिये, रूपये 10,000/– की धनराशि;

(ग) नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष की सीट के लिये, रूपये 15,000/– की धनराशि;

(घ) नगरपालिक निगम के महापौर की सीट के लिये, रूपये 20,000/– की धनराशिः

परन्तु यह कि जहाँ कोई अभ्यर्थी, महिला है या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है, वहां उसे इस नियम के अधीन उपरोक्त विहित धनराशि का केवल आधा भाग निक्षेप करना आवश्यक होगा।''

5. नियम 28 में, उप–नियम (8) में, शब्द ''रिटर्निंग ऑफिसर'' के पश्चात, चिन्ह एवं शब्द '',नियम 30 के उप–नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अनुसार'' अंतःस्थापित किया जाये।

6. नियम 30 में,

(क) उप–नियम (1) में, शब्द ''रिटर्निंग ऑफिसर'' के पश्चात, चिन्ह एवं शब्द '',प्ररुप–10 में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के अनुसार'' अंतःस्थापित किया जाये; और

(ख) उप–नियम (2) एवं (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(2) उप–नियम (1) के अधीन नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिये, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किये जायेंगे, अर्थात्:–

(एक) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी (राष्ट्रीय या राज्यीय दल);

(दो) खंड (1) में उल्लिखित अभ्यर्थियों से भिन्न पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी;

(तीन) अन्य अभ्यर्थी।

(3) उप–नियम (2) में उल्लिखित प्रवर्ग, विहित रीति में होंगे तथा प्रत्येक प्रवर्ग में अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रमानुसार रखे जायेंगे और नामनिर्देशन पत्र में दिये गये अनुसार अभ्यर्थियों के पते तथा अन्य विशिष्टियां भी क्रम से रखी जायेंगी।''

(ख) उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(4) उप–नियम (1) में निर्दिष्ट वर्णक्रम, अभ्यर्थियों के नाम और/या कुलनाम (सरनेम) के संदर्भ में ऐसी रीति में अवधारित किये जायेंगे, जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किया जाये।''

7. नियम 31 में, उप–नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(ङ) गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को, विहित गैर–आबंटित प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीक आबंटित किये जायेंगे;

(च) प्रतीक, निम्नलिखित रीति में आबंटित किये जायेंगे, अर्थात्:–

प्रथमतः, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक;

द्वितीयतः, मान्यता प्राप्त राज्यीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक;

तृतीयतः, गैर–मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दलों के अभ्यर्थियों को गैर–आबंटित प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीक तथा

चतुर्थतः, निर्दलीय अभ्यर्थियों को गैर–आबंटित प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीकः

परन्तु यह कि प्रतीकों के आबंटन में, गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को निर्दलीय अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जायेगी;

(छ) यदि किसी राजनीतिक दल जिसको किसी अन्य राज्य में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, छत्तीसगढ़ राज्य में अपना अभ्यर्थी खड़ा करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को, उस राज्य में राजनीतिक दल हेतु आरक्षित प्रतीक आबंटित किया जा सकेगा, जिसमें मान्यता प्राप्त राज्य दल, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा प्रतीक, छत्तीसगढ़ राज्य में मुक्त प्रतीकों की सूची में विहित है, जो निम्नलिखित प्रत्येक शर्तों की पूर्ति करेगा, अर्थात्:–

(एक) यह कि अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की है;

(दो) संबंधित राजनीतिक दल की जिला इकाई द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियम 31 के उप–नियम (2) के अधीन प्ररूप 8 में लिखित सूचना दी गई हो, जो अभ्यर्थिता वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपरान्ह् 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त की जानी चाहिये;

(तीन) ऐसा पदाधिकारी, उस राजनीतिक दल की राज्य इकाई द्वारा नियम 31 के उप–नियम (2) के अधीन प्ररूप 9 में प्राधिकृत होना चाहिये और उसका नमूना हस्ताक्षर, अभ्यर्थिता वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपरान्ह् 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किया जाना चाहियेः

परन्तु यह कि यदि इस आशय की जानकारी कि अभ्यर्थी को उस राजनीतिक दल द्वारा उस राजनीतिक दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा खड़ा किया गया है, विहित समय में प्राप्त नहीं होती है, तो उस अभ्यर्थी को निर्दलीय अभ्यर्थी के रुप में समझा जायेगा।

(चार) उपरोक्त के संबंध में फैक्स द्वारा प्राप्त कोई संदेश या किसी पत्र की छायाप्रति, प्रमाण या संतुष्टि हेतु न तो स्वीकार की जायेगी और न ही इस प्रकार वह साक्ष्य के रुप में ग्राह्य होगी।''

8. नियम 63–ख में,–

(क) उप–नियम (1) में, शब्द ''मतदान इकाई'' के पश्चात्, शब्द तथा कोष्टक ''तथा प्रत्येक मतपत्र (लेबल)'' अंतःस्थापित किया जाये; और

(ख) उप–नियम (4) के खंड (क) में, शब्द ''नाम और प्रतीक'' के स्थान पर, शब्द ''नाम, फोटो और प्रतीक'' प्रतिस्थापित किया जाये।

9. नियम 74 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्ः–

''नियम 74–क. लिपिकीय या गणितीय त्रुटियों को सुधारने की जिला निर्वाचन अधिकारी की शक्तिः–

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, किसी भी समय किंतु नियम 39 या 74 के अधीन परिणाम की घोषणा के 7 दिन के बाद नहीं, या तो स्वप्रेरणा से या रिटर्निंग ऑफिसर के प्रतिवेदन पर, यथास्थिति, प्ररूप 21क में गणना का परिणाम, प्ररूप–22क अंतिम परिणाम पत्रक, प्ररूप 23, 23क, निर्वाचन की घोषणा सह–विवरणी में किसी भी लिपकीय या गणितीय त्रुटि या भूल का, आदेश द्वारा, संशोधन कर सकेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई भी सुधार या संशोधन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्रश्नाधीन वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऐसे संशोधन करने के लिए तारीख, समय और स्थान की सूचना न दे दी गई हो।

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप–नियम (1) के अधीन पारित आदेश लिखित में होगा तथा ऐसा आदेश पारित करने हेतु उसमें कारण अन्तर्विष्ट होंगे और जिला निर्वाचन अधिकारी, यथास्थिति, प्ररूप 23 या 23क में सम्यक् रूप से संशोधित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रति, ऐसे निर्वाचन के परिणामस्वरूप निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाणपत्र देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा।

(3) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, जिला निर्वाचन अधिकारी को, गणना किये जा चुके मतपत्रों के किसी लिफाफे को खोलने का निर्देश या डिटेचेबल मेमोरी माड्यूल (डीएमएम) या कंट्रोल यूनिट के द्वारा मतों की पुनर्गणना करने हेतु निर्देश देने की कोई शक्ति या प्राधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(4) यदि रिटर्निंग ऑफिसर ने किसीं अभ्यर्थी को, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उप–नियम (1) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व, नियम 75 के अधीन प्ररूप 24 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र जारी किया है, तो निर्वाचन के ऐसे प्रमाणपत्र को वापस लिया गया समझा जायेगा और निरस्त किया गया समझा जायेगा।

10. प्ररूप 3क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''प्ररूप–3क
(नियम 25–क देखिये)

अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले शपथपत्र नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाना.

शपथपत्र

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी...आयु .... निवासी..................................तहसील..............................जिला............,............छत्तीसगढ़ में नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत ....जिला.........................के महापौर/अध्यक्ष अथवा वार्ड क्र.......................के पार्षद पद के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं।

2. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक शपथ लेते हुए निम्नानुसार कथन करता हूं:—

एक. यह कि मैं पूर्व में...............अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध हुआ/नहीं हुआ हूं।

दो. यह कि मैं निम्नलिखित प्रकरण/प्रकरणों में दोषसिद्ध हुआ हूं, अर्थात्:—

1. प्रकरण क्र.........पुलिस थाना..................जिला.................राज्य.........................
2. अधिनियम की धारा, जिसके लिये दोषी ठहराया गया है.............................
3. अपराध का संक्षिप्त विवरण, जिसके लिये दोषी ठहराया गया है.................
4. सजा दिये जाने का दिनांक...
5. न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा घोषणाकर्ता को सजा दी गई.................
6. आरोपित की गयी सजा......................................(कारावास की अवधि और/या अधिरोपित किये गये जुर्माने की मात्रा को सूचित करें)
7. कारागार से विमुक्ति का दिनांक...
8. उपर्युक्त दोषसिद्धि के विरूद्ध की गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण, यदि कोई हो...
9. अपील/पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण...

तीन. यह कि मैं पूर्व में, निम्नलिखित प्रकरणों में मुक्त/दोषमुक्त हुआ हूँ, अर्थात्:—

1. प्रकरण क्र...
2. संबंधित अधिनियम एवं धारा...
3. न्यायालय का नाम, जिसके द्वारा मुझे मुक्त/दोषमुक्त किया गया.............
4. मुक्त/दोषमुक्त होने का दिनांक...
5. मुक्त/दोषमुक्त होने के विरुद्ध की गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण...
6. अपील/पुनरीक्षण के परिणाम का विवरण...

चार. यह कि मुझे आज से छः माह पूर्व निम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया गया है अथवा न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (केवल उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाए, जिसमें कारावास की सजा दो या अधिक वर्षों की दी जा सकती है, जिनके मामले कॉलम एक एवं दो में पहले ही दिये गये है, प्रस्तुत न किया जाये)।

1. न्यायालय का नाम...
2. प्रकरण क्र...
3. संज्ञान लेने के आदेश का दिनांक...
4. धारा एवं अधिनियम.. ....
5. अपराध का संक्षिप्त विवरण..
6. पूर्व आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण का विवरण, (यदि कोई हो).........................

पांच. यह कि मेरी स्वयं, मेरे पति/पत्नी और मेरे आश्रितों की चल, अचल तथा बैंक जमा का विवरण निम्नानुसार है,—

(क) चल संपत्तिः (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के मामले में, घोषणाकर्ता के हिस्सा का विवरण स्पष्ट रूप से बताया जाये एवं अन्य स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा शपथकर्ता का उनसे संबंध स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाये)। आश्रित से अभिप्रेत है व्यक्ति जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है।

क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित क्र. 1 का नाम	आश्रित क्र. 2 का नाम	आश्रित क्र. 3 का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	नकद					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में जमा धनराशि					
3.	कंपनियों के बांड, डिबेंचर और शेयर					
4.	अन्य वित्तीय जमा जैसे पीपीएफ, डाकघर जमा योजना, एलआईसी पॉलिसी, आदि।					
5.	मोटर वाहन (कृपया कंपनी, मॉडल आदि का विवरण दें)					
6.	गहनें (कृपया वजन, लागत आदि का विवरण दें)					
7.	अन्य ऐसी परिसंपत्तियां, जैसे दावे की कीमत/ब्याज					

(सूचीबद्ध कंपनियों के बांड/डिबेंचर/शेयर के संबंध में, स्टॉक एक्सचेंज का वर्तमान बाजार मूल्य बताया जाये; गैर सूचीबद्ध कंपनियों के बांड/डिबेंचर/शेयर के संबंध में, अभिलेख के अनुसार मूल्य बताया जायें)

(ख) अचल संपत्तियों का विवरणः (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के मामले में, सभी का विस्तार से उल्लेख किया जाये, अन्य सभी स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र, व्यवसाय तथा उनसे शपथकर्ता के संबंध का विवरण दिया जाये)

क्र.	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित क्र. 1 का नाम	आश्रित क्र. 2 का नाम	आश्रित क्र. 3 का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कृषि भूमि 1. जिला का नाम– तहसील, स्थान (ग्राम) का नाम जहां भूमि स्थित है............ 2. खसरा नं............................... 3. कुल रकबा............................ 4. वर्तमान बाजार मूल्य...........					
2.	गैर–कृषि भूमि 1. जिला का नाम– तहसील, स्थान (ग्राम) का नाम जहां भूमि स्थित है............ 2. खसरा नं............................... 3. कुल रकबा............................ 4. वर्तमान बाजार मूल्य...........					
3.	भवन (व्यावसायिक या आवासीय, पृथक पृथक विनिर्दिष्ट किया जाये) 1. जिला.................................... तहसील................................. 2. स्थान का नाम......................... 3. प्लाट नं............................... 4. क्षेत्रफल.................................. 5. वर्तमान बाजार मूल्य...........					

छः. मेरी शासकीय एवं अन्य वित्तीय संस्थानों की देनदारियां निम्नानुसार हैं,–

क्र.	विवरण	शासकीय विभाग / बैंक तथा वित्तीय संस्थानों का नाम एवं पता	बकाया राशि दिनांक ....तक
(1)	(2)	(3)	(4)
क.	1. बैंकों से ऋण 2. वित्तीय संस्थानों से ऋण 3. शासकीय बकाया (आय / वेल्थ टैक्स (धन कर) को छोड़कर)		
ख.	1. अधिभार सहित आयकर का विवरण (कृपया निर्धारण वर्ष, जिसके लिये रिटर्न प्रस्तुत की है, का विवरण दें, कृपया स्थायी लेखा संख्या एवं कोड भी दें। 2. कृपया निर्धारण वर्ष, जिसके लिये रिटर्न प्रस्तुत की है, के वेल्थ (धन) / संपत्ति कर का विवरण दें 3. वाणिज्यिक कर 4. संपत्ति कर		

सात. मेरी शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:
(अपनी विद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा विनिर्दिष्ट करें)
विद्यालय / शिक्षा मंडल / विश्वविद्यालय का नाम, जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या पाठ्यक्रम किया गया है

वर्ष	प्रमाणपत्र / उपाधि	विद्यालय / महाविद्यालय	शिक्षा मंडल / विश्वविद्यालय

....
शपथकर्ता

सत्यापन

मैं, शपथकर्ता, उपरोक्त नाम से एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं तथा घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र के खंड क्र. एक से सात में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सही है एवं सत्य है और इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई भी बात छुपायी नहीं गयी है। यह दिन.............माह ....वर्ष..........................पर सत्यापित किया गया।

....
शपथकर्ता

11. प्ररूप 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''प्ररूप–5
[नियम 28 (8) देखिये]

विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

................................* नगरपालिक निगम / परिषद् / नगर पंचायत के वार्ड क्र. ....से पार्षद का निर्वाचन
................................* नगरपालिक निगम के महापौर / नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	*पिता / पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रवर्गः–

(1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी।

(2) रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से भिन्न)

(3) अन्य अभ्यर्थी

स्थान.......................
दिनांक....................

....
रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)
(नाम....................................)
मुद्रा..................................

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।

** उपरोक्त प्रवर्गों (एक) और (दो) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू।

टीप.– उपरोक्त कॉलम 1 के अधीन, सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या, क्रमवार दी जायेगी और प्रत्येक प्रवर्ग के लिये पृथक नहीं होगी।''

12. प्ररूप 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''प्ररूप–10
(नियम 30 देखिये)

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

................................* नगरपालिक निगम / परिषद् / नगर पंचायत के वार्ड क्र.....................से पार्षद का निर्वाचन
................................* नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् / नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल से सम्बद्धता**	आबंटित प्रतीक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

प्रवर्ग :–

(1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी।

(2) रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से भिन्न)

(3) अन्य अभ्यर्थी

स्थान.......................

दिनांक.....................

....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)

(नाम....................................)

मुद्रा..................................

---

* जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।

** उपरोक्त प्रवर्गों (एक) और (दो) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू।

टीप.– उपरोक्त कॉलम 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या, क्रमवार दी जायेगी और प्रत्येक प्रवर्ग के लिये पृथक नहीं होगी।''

13. प्ररूप 21क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''प्ररूप–21क

[नियम 69क(2)ग देखिये]

गणना का परिणाम

..............................नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत ....के वार्ड क्र........................से पार्षद का निर्वाचन

मतदान केन्द्र क्र...

1. स.क्र.	अभ्यर्थी का नाम/उपर्युक्त में से कोई नहीं	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गये वैध मतों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

*अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् ''उपर्युक्त में से कोई नहीं'' के विवरण का उल्लेख किया जाये।

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..

(ख) अविधिमान्य मतों की कुल संख्या...

(ग) डाले गए मतों की कुल संख्या...

(घ) "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में डाले गए कुल मतों की संख्या ....

(ङ) अंडर वोट/नो वोट की कुल संख्या..

(च) अनफिनिश्ड (अधूरे) मतों की कुल संख्या..

स्थान............................

दिनांक.............................

....

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

(नाम...)

....

रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर

(नाम...)

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।"

14. प्ररूप 22क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"प्ररूप–22क

[नियम 69क(2)ग देखिये]

अंतिम परिणाम पत्रक

..............................नगरपालिक निगम के महापौर/नगरपालिका परिषद्/ नगर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन तथा नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत ....के वार्ड क्र........................से पार्षद का निर्वाचन

1.

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम/उपर्युक्त में से कोई नहीं	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की सं.	अभ्यर्थी के पक्ष में डाले गए विधिमान्य मतों की सं. मतदान केन्द्रवार			कुल योग
			मतदान केन्द्र का स. क्र.	मतदान केन्द्र का स. क्र.	मतदान केन्द्र का स. क्र.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						

*अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात् "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के विवरण का उल्लेख किया जाये।

2. (क) विधिमान्य मतों की कुल संख्या..

(ख) डाले गए मतों की कुल संख्या..

(घ) अविधिमान्य निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या.....................................

(ङ) डाले गए निर्वाचन कर्तव्य मतों की कुल संख्या...

(च) "उपर्युक्त में से कोई नहीं" के पक्ष में डाले गए कुल मतों की संख्या ....

(छ) अंडर वोट/नो वोट की कुल संख्या..

(ज) अनफिनिश्ड (अधूरे) मतों की कुल संख्या...

स्थान...............................

दिनांक.............................

....
गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
(नाम..)

....
रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के हस्ताक्षर
(नाम..)

---

*जो विकल्प उचित न हो उसे काट दीजिये।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक एफ 1–5/2014/18. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–5/2014/18 दिनांक 26–03–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Naya Raipur, the 26th March 2018

NOTIFICATION

No. F 1-5/2014/18. – In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No 37 of 1961) and in consultation with the State Election Commission, the State Government, hereby, makes following amendments in the Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After Rule 3, the following shall be inserted, namely:-

"3-A. Breach of official duties in relation to preparation of electoral rolls, etc.-

(1) If any Registration Officer/Assistant Registration officer or any person deployed to perform any official duty in relation to revision or rectification of any entry, which is to be included or excluded in or from electoral roll, without reasonable cause, is guilty of any act or omission in breach of such official duty which he is bound to discharge under the provisions of these rules, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to 2 years with fine.

(2) No court shall take cognizance under sub-rule (1), unless a complaint in writing is filed by the State Election Commission or Collector and District Election Officer of the concerned district himself or by any other officer not below the rank of Deputy Collector authorized by him.

3-B. Making false declarations. – If any person makes,-

(a) in connection with the preparation, revision or correction of an electoral roll; or

(b) in relation to inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing, which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both."

2. In Rule 5, after sub-rule (2), the following shall be inserted, namely :-

"(2-A) Registration officer shall authorize an employee to receive claim or objection on draft electoral roll. This employee shall be authorized with reference to wards."

3. For Rule 25-A, the following shall be substituted, namely:-

"25-A. Affidavit to be filled along with nomination paper.- (1) Under the provisions of sub-rule (1) of rule 25, every candidate [and concerned mayor/president in case of recall from his post], who is submitting his nomination for election of Mayor or Councilor of Municipal Corporation or President or Councilor of Municipal Council or President or Councilor of Nagar Panchayat before the returning officer shall, necessarily enclose an affidavit sworn before Magistrate of first class or notary in Form 3-A.

(2) Every candidate shall declare information relating to,-

(i) Whether he is convicted/ discharged/acquitted in any criminal case in the past or he is accused in any pending criminal case? If so, the details thereof;

(ii) The assets (immovable, movable, bank balances etc) of a candidate and of his/her spouse and that of dependants, which he and his/her spouse and dependent children are jointly or separately owns or is beneficiary;

(iii) Liabilities, if any, towards any public financial institution;

(iv) Dues, if any, towards the Central Government or State Government;

(v) The educational qualifications of the candidate;

in an affidavit, in such format and in such manner, as may be prescribed by the State Election Commission, while filling his nomination paper before Returning Officer.

(3) If affidavit is not enclosed then nomination paper shall be rejected.

(4) The Returning Officer, after furnishing of information to him under sub-rule (2), as soon as possible, shall disseminate the information so received by affixing a copy of affidavit at a conspicuous place in his office for the purpose of information to electoral of the concerned ward for which the nomination has been filed and shall make available the information so received on demand by any candidate/electoral, and shall also disseminate publically said information through media..

(5) If any candidate/electoral files any affidavit contrary to any information contained in the affidavit filed by any candidate under sub-rule (2), then it shall also be disseminated in a manner prescribed in under sub-rule (4).

(6) Returning Officer shall not conduct any inquiry in relation to the Information given in the affidavit."

4. In Rule 26, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) No candidate shall be deemed to be duly nominated for election unless he has deposited or caused to be deposited in cash, either before or at the time of presentation of his nomination paper before the returning officer under Rule 25, the following amount, namely :-

(a) for the seat of "Councilor", -

(i) of Nagar Panchayat, a sum of Rupees 1000/-;

(ii) of Municipal Council, a sum of Rupees 3000/-;

(iii) of Municipal Corporation, a sum of Rupees 5000/-;

(b) for the seat of President of Nagar Panchayat, a sum of Rupees 10,000/-;

(c) for the seat of President of Municipal Council, a sum of Rupees 15,000/-;

(d) for the seat of Mayor of Municipal corporation, a sum of Rupees 20,000/-:

Provided that where a candidate is a woman or a member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes, he/she shall be required to deposit only half of the above prescribed amount under this rule."

5. In Rule 28, in sub-rule (8), after the words "the Returning Officer", the punctuation and words ",according to the categories specified in sub-rule (2) of Rule 30," shall be inserted.

6. In Rule 30,-

(a) in sub-rule (1), after the words "the Returning Officer", the punctuation and words ",according to the categories specified in Form- 10," shall be inserted; and

(b) for sub-rule (2) and (3), the following shall be substituted, namely :-

"(2) For the purpose of listing of names under sub-rule (1), candidates shall be classified into following categories, namely:-

(i) candidates of recognized political parties (National or State Party);

(ii) candidate of registered political parties, other than the candidates mentioned in clause (1);

(iii) other candidates.

(3) Categories mentioned in sub-rule (2) shall be in prescribed manner and names of candidates in every category shall be in alphabetical order and the addresses and other specifications of the candidates as given in the nomination paper shall also be in order."

(b) after sub-rule (3), the following shall be added, namely :-

"(4) The alphabetical order referred in sub-rule (1), shall be determined with reference to the name and/or surname of the candidates in such manner as may be prescribed by the State Election Commission."

7. In Rule 31, in sub-rule (1), after clause (d), the following shall be added, namely:-

"(e) Candidates of un-recognized political parties shall be allotted symbols of their choice from prescribed non-allotted symbols;

(f) Symbols shall be allotted in the following manner, namely :-

firstly, reserved symbol to the candidates of recognized National Political Parties;

secondly, reserved symbol to the candidates of recognized State Political Parties;

thirdly, symbol of their choice from non-allotted symbols to the candidates of un-recognized registered parties and

fourthly, symbol of their choice from non-allotted symbols to independent candidates:

Provided that preference shall be given to the candidates of un-recognized political parties over independent candidates in allotment of symbols;

(g) if any political party which is recognized as State Party in any other State sets-up their candidate in the State of Chhattisgarh, then such candidate may be allotted the symbol reserved for that political party in that State, in which it is recognized State Party, notwithstanding that such symbol is prescribed in the list of free symbols of the State of Chhattisgarh, on fulfillment of each of the following conditions, namely :-

(i) that the candidate has made a declaration of this intention in his nomination paper;

(ii) district unit of the concerned political party has by an Authorized Office Bearer has given a written notice in Form 8 under sub-rule (2) of Rule 31, which should have been received by the returning officer by 3:00 pm on the last day for withdrawal of candidature;

(iii) such Office Bearer should be authorized by the state unit of that political party in Form 9 under sub-rule (2) of Rule 31 and his specimen signature should have been received by the retuning officer by 3:00 pm on the last day for withdrawal of candidature :

Provided that, if notice of such intention that, a candidate has been set-up by political party, by Authorized Office Bearer of that political party, has not been received in stipulated time, then, the candidate shall be considered as independent candidate.

(iv) No message or photocopy of any letter received by fax in relation to above shall either be accepted for certification or satisfaction nor it shall be admissible as evidence."

8. In Rule 63-B,-

(a) in sub-rule (1), after the words “ballot unit”, the words and parenthesis “and every ballot paper (label)” shall be inserted; and

(b) in clause (a) of sub-rule (4), for the words "name and symbol", the words "name, photo and symbol " shall be substituted.

9. After Rule 74, the following shall be inserted, namely :-

"74-A. Power of District Election Officer to correct clerical or mathematical errors:-

(1) At any time but not after 7 days from declaration of result under Rule 39 or 74, the District Election Officer may, either on suo moto or on a report of Returning Officer, amend by an order, any clerical or mathematical error or mistake in Form 21 A, Result of counting, Form-22A Final result sheet, Form 23, Form 23 A, Declaration cum return of election, as the case may be:

Provided that, no such correction or amendment shall be made unless a notice of date, time and place for making such amendment is given to all the candidates contesting election in the ward or constituency in question.

(2) Order passed by District Election Officer under sub-rule (1) shall be in writing and shall contain the reasons for passing such order and District Election Officer shall send duly amended signed and certified copy of Form 23 or Form 23 A as the case may be, to the Returning Officer to grant certificate of election to the candidate declared elected as the result of such election.

(3) Nothing contained in sub-rule (1) shall confer any power or authority on District Election Officer to direct the opening of envelope, containing counted ballot papers, or to direct recounting of votes by Detachable Memory Module (DMM) or by Control Unit.

(4) If Returning Officer has issued any candidate, a certificate of election in Form 24 under Rule 75 before an order under sub-rule (1) is passed by District Election Officer, such certificate of election shall be deemed to have been recalled and shall be considered to be rejected."

10. For Form 3A, the following shall be substituted, namely :-

"FORM - 3A
(See Rule 25-A)

Affidavit to be submitted by the candidate with nomination paper before the Returning Officer.

AFFIDAVIT

I .... Son/Daughter/wife of Shri .... Age .... Resident of .... Tahsil .... District .... Chhattisgarh is filing a nomination paper for election for the post of Mayor/President or Councilor of Ward No. .... of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat .... District ....

2. I do solemnly affirm and state on oath as under :-

I. that in the past, I had been convicted/not convicted under............................ Act.

II. that I had been convicted in following case/cases, namely:-

1. Case No. .... Police Station .... District .... State ....
2. Section(s) of the Act(s) for which convicted ....
3. Brief description of offence(s) for which convicted ....
4. Date(s) of conviction(s) ....
5. Name of the Court(s), which convicted the declarant ....
6. Punishment(s) imposed (Indicate the period of imprisonment(s) and/or quantum of fine(s) imposed) ....
7. Date(s) of Release from prison ....
8. Detail of appeal(s)/revision(s) filed against the above convictions(s), if any ....
9. Detail(s) of result of appeal(s)/revision(s) ....

III. that, in the past I, have been discharged/acquitted in the following cases, namely:-

1. Case No(s). ....
2. Section(s) and the concerned Act(s) ....
3. Name of the Court(s), which discharged/acquitted me ....
4. Date(s) of Discharge/acquitted...
5. Details of appeal(s)/revision(s) filed against the discharge/acquittal ....
6. Detail(s) of results of appeal(s)/revision(s) ....

IV. that I, have been accused in the following case(s), six months prior to this date in which the Court has framed charges or the Court has taken cognizance (Furnish detail of only those cases in which sentence of imprisonment of two or more years can be awarded, the details of cases which have already been given in column I and II need not be furnished).

1. Name of the Court ....
2. Case No. ....

3. Date of cognizance order ....

4. Section and Act ....

5. Brief description of offence ....

6. Detail of Revision against past order, (if any)...............................

V. that the detail of movable, immovable and bank deposits of myself, my husband/wife and my dependents are as follows,-

(a) Movable assets: (In case of Asses in joints ownership, detail of share of the declarant should be stated clearly and other owner name, age, occupation and relationship with the deponent should be clearly mentioned). Dependent means, a person who lives mainly on the income of the deponent.

No.	Description	Self	In the Name of Husband/ Wife	In the Name of Dependent No. 1	In the Name of Dependent No. 2	In the Name of Dependent No. 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cash					
2.	Deposits in Bank, Financial Institutions and Non Banking financial Institutions					
3.	Bond, Debenture and Shares of companies					
4.	Other Financial deposits such as, PPF, Deposit in Post Office Schemes, LIC Policy, etc.					
5.	Motor Vehicle (Please give details of company, models, etc.)					
6.	Jewelries (Please give details of Weight, cost, etc.)					
7.	Other Assets such as value claims/interest					

(In respect bond/debenture/share of listed companies, current market value in stock exchange should be stated; in respect of bond/debenture/share of non listed companies. Value on record may be stated)

(b) Detail of Immovable Assets : (In case of Assets in joint ownership, the same should be stated in detail, The name, age, occupation and relationship with the deponent of all other shareholders should be stated)

No.	Description	Self	In the Name of Husband/ Wife	In the Name of Dependent No. 1	In the Name of Dependent No. 2	In the Name of Dependent No. 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Agriculture Land 1. Name of District-Tahsil, Place (Village) where the land is situated .... 2. Khasra No.					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3. Total Area .... 4. Present Market Value					
2.	Non-Agriculture Land 1. Name of District-Tahsil, Place (Village) where the land is situated .... 2. Plot No. .... 3. Area .... 4. Present Market Value					
3.	Building (Specify Separately, Commercial or Residential) 1. District .... Tahsil .... 2. Name of location .... 3. Plot No. .... 4. Area .... 5. Present Market Value					

VI. My liabilities to the Government and other financial institutions are as follows,-

No.	Description	Government Department/bank and name and address of the financial Institutions	Balance amount Due upto ....
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	1. Loan from Banks 2. Loan from Financial Institutions 3. Governmental Dues (excluding income/wealth tax)		
b.	1. Details of income tax including surcharge (please give detail of the assessment year for which return(s) have been filed, please also give Permanent Account Number and Code) 2. Please give details of wealth/ property tax of the assessment year for which return(s) have been submitted 3. Commercial Tax 4. Property Tax		

VII. My educational Qualification is as follows :

(Specify your School and University Level Education)

Name the School/Education Board/University from where degree has been obtained or Course completed

Year	Certificate/ Degree	School/College	Education Board/ University

....
Deponent

Verification

I, the deponent, above named, do hereby verify and declare the contents in Clause no. I to VII of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom. Verified at......................................this the ....day of...................................

....
Deponent

11. For Form 5, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-5
[See rule 28(8)]

LIST OF VALIDLY NOMINATED CANDIDATES

Election of councilor from Ward No. .... of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat ....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat ....

S.No.	Name of Candidate	Name of* father/husband	Address of candidate	Party ** affiliation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Category :-

(i) Candidates of recognized National and State Political Parties.

(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognized National and State Political Parties).

(iii) Other candidates.

Place ....
Date ....

....
Returning Officer (Municipality)
(Name ....)
Seal................................

---

* Strike off the inappropriate alternative.

** Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and (ii) above.

Note.- Under Col. 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not separately for each category."

12. For Form 10, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-10
(See rule 30)

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election of councilor from Ward No. .... of *Municipal Corporation/Council/Nagar Panchayat ....

*Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat ....

S.No.	Name of Candidate	Address of candidate	Party** affiliation	Symbol Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Category:-

(i) Candidates of recognized National and State Political Parties.

(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognized National and State Political Parties).

(iii) Other candidates.

Place ....
Date ....

....
Returning Officer (Municipality)
(Name ....)
Seal...............................

* Strike off the inappropriate alternative.

** Applicable in the case of candidates mentioned under categories (i) and (ii) above.

Note.- Under Col. 1 above, the serial numbers of candidates of all the three categories shall be given consecutively and not separately for each category."

13. For Form 21A, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-21A
[See rule 69A(2)c]

RESULT OF COUNTING

Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat .... and Election of Councilor from Ward No. .... of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat ....

Polling Station No. ....

1.

S.No.	Name of candidate/None of the above	Valid votes cast in favour of the candidate
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

* Descriptions of "None of the above" to be specified after the last candidate.

2. (a) Total number of valid votes ....

(b) Total number of invalid votes ....

(c) Total number of votes cast ....

(d) Total number of votes cast in favour of "None of the above"...........

(e) Total number of Under votes/No votes ....

(f) Total number of Unfinished votes ....

Place ....

Date ....

....

Signature of Counting Supervisor

(Name ....)

....

Signature of Returning Officer (Municipality)

(Name ....)

----

* Strike off the inappropriate alternative."

14. For Form 22A, the following shall be substituted, namely :-

"FORM-22A
[See Rule 69A(2)c]

FINAL RESULT SHEET

Election of Mayor of Municipal Corporation/President of Municipal Council/Nagar Panchayat .... and Election of Councillor from Ward No. ....of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat ....

1.

S.No.	Name of candidate/ None of the above	No. of valid E.D. votes cast in favour of the candidate	No. of valid votes cast in favour of the candidate Polling Station wise			Grand Total
			Serial No. of Polling Station	Serial No. of Polling Station	Serial No. of Polling Station	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						

* Descriptions of "None of the Above" to be specify after the last candidate.

2. (a) Total number of valid votes ....

(b) Total number of votes cast ....

(c) Total number of valid E.D. votes ....

(d) Total number of invalid E.D. votes ....

(e) Total number of E.D. votes cast ....

(f) Total number of votes cast in favour of "None of the above"...........

(g) Total number of Under votes/No votes ....

(h) Total number of Unfinished votes ....

Place ....
Date ....

....
Signature of Counting Supervisor
(Name ....)

....
Signature of Returning Officer (Municipality)
(Name ....)

----
* Strike off the inappropriate alternative."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.